

19/22 आज यह पत्रावली पेयडुपी। कोरे उप
 वली। वादी व वादी वकील से बार-बार आवान
 उगाधी गर कोरे उपार्थ नही है। वादी व वादी वकील
 से वाबजूद सुनना के अनुमतिह सेन से पत्रावली
 03 13 से अदल बाजवे पेकीमे खारिज की जाती
 है। फावली अदल शुआर होकर जम्पर से कअने
 वाद शरि खारिज दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड (अलवर) राज०